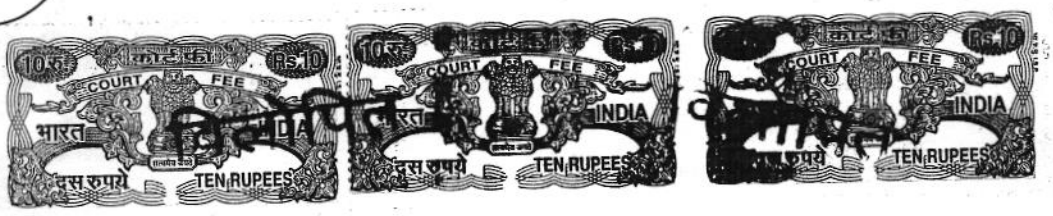

नवीन प्र० 2105/2016

न्यायालय मान्यनीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

==

प्रकरण नं0/ 0 /   /2016-17   निग -2105-I-16

गृह निर्माण वस्तु उत्पादन उद्योग सहकारी समिती मर्यादित गंज बासौदा जिला विदिशा म0 प्र0   निगरानी कर्ता

श्री बाबूलाल नायक -आवेदक-निगरानीकर्ता द्वारा आज दि 27-6-16 को प्रस्तुत

27-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बाबूलाल नायक
27-6-16

बनाम

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय जिला विदिशा म0 प्र0

(2) नगरपालिका परिषद गंज बासौदा जिला विदिशा म0

(3) भगवतीबाई (मृतक) वारिसान एवं स्वयं प्रमिलादेवी पुत्री लालाराम

(4) विशाखा पुत्री ओम प्रकाश

(5) सुमन देवी वेवा ओमप्रकाश
सभी जाती जैन वार्ड नं0 15 मुजापुर गंज बासौदा जिला विदिशा म0 प्र0

(6) सविताबाई पत्नि भरतसिंह

(7) हरीबाई पत्नी कमलसिंह

(8) रघुवीरसिंह पुत्र काशीराम

(9) शारदाबाई पत्नी गिरबरसिंह

(10) रघुनाथ सिंह पुत्र काशीराम
सभी जाती रघुवंशी निवासी गय ग्राम कूल्हा तेहसील गंज बासौदा जिला विदिशा

(11) मन्दिर राम जानकी स्थिति गनेश पुरा गंज बासौदा द्वारा अध्यक्ष हिम्मतसिंह पुत्र परमानन्द नामदेव वैदनखेड़ी टपरियां गंज बासौदा जिला विदिशा म0 प्र0

(12) श्री संत नामदेव समिती गंज बासौदा, द्वारा अध्यक्ष [illegible]

OATH COMMISSIONER 1447 D.V. SINGH

-2-

नामदेव वरेठ रोड़ चार खम्बा गली के
सामने गंज बासौदा जिला विदिशा म0 प्र0

§13§ राजकुमारी पत्नी देवेन्द्रसिंह जाती रघुवंशी
वरेठ रोड़ § जुगयाईवाले§ गंज बासौदा
जिला विदिशा म0 प्र0

§14§ सर्व आम जिसे आपत्ती हो§ गंज बासौदा
जिला विदिशा म0 प्र0 : रिस्पान्टेडेन्ट

धारा 50 भू0 रा0 सहिता के अन्तर्गत
निगरानी

न्यायालय अपर आयुक्त संभाग भोपाल के
प्र0 नं0 212/रे/अपील/10-11 निर्णय दि0
2-5-16 एंव उपखण्ड़ीय अधिकारी गंज बासौदा
प्र0 क्रमांक27/09-10 निर्णय दिनांक24-12-10
ऐव, तैहसीलदार बासौदा प्र0 क्रमांक6/अ/3
/92-93 निर्णय दिनांक26-7-93 से
प्रतिवेदित होकर निगरानी।

मान्यनीय महोदय,

निवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

§1§ यह कि समिती पंजीकृत सहकारी समिती है।समिती में निगरानी प्रस्तुत करनें पैरवी करने ठहराव क्रं0,1,2, दिनांक 17-5-16 से गप्पूलाल नायक सदस्य को अधिकृत किया है।

§2§ यह कि समिती ग्राम कस्वा बासौदा स्थिति भूमी क्रमांक 732/2 रकवा 00.178 है0§17 बिस्वा§ इससे लगकर खसरा नं0 733 मिन रकवा 00.345 है0,§1 बीघा13 विस्वा§ कुल रकवा 00.523 है0 की भूमी स्वामी के रूप में बयनामा दिनांक 21-12- 1968 से काविज होकर , पूर्व में पारासरी नदी,पश्चिम मे विक्रेता, तथा उत्तर में सह खातेदार, दक्षिण तरफ सड़क पचमा बाई पास है। में ईंट बनाने का कार्य करती रही है। कागजात सरकारी में निगरानी कर्ता समिती , भूमी स्वामी के रूप में दर्ज चली आरही है।

§3§ यह कि बर्ष 1992-93 में तहसीलदार गंज बासौदा. में प्रकरण

OATH COMMISSIONER 1447 27-6-16

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2105-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 212/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक समिति ने ग्राम कस्बा बासौदा स्थित भूमि क्र. 732/2 रकवा 0.178 हे. इससे लगकर 733 मिन रकवा 0.345 हे. कुल रकवा 0.523 हे. भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.12.68 से क्रय की थी। जिस पर ईंट बनाने का कार्य करती चली आ रही है। तहसीलदार गंजबासौदा द्वारा भूमि के सह-खातेदारों द्वारा दिनांक 15.07.93 को आवेदक समिति को भंग बताया जाकर दिनांक 26.07.93 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 24.12.2010 द्वारा अपील विलंब से पेशे होने के कारण धारा-5 का आवेदन एवं अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गइ जो उनके आदेश दिनांक 02.05.2016 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। 4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय हैं। 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.07.93 के विरुद्ध लगभग 17 वर्ष बाद दिनांक 09.02.2010 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके द्वारा इस आधार पर निरस्त की है कि अपील में हुए विलंब के संबंध में आवेदक द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किए हैं जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी उक्त अपील में हुए विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अवधि विधान की धारा - 5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2016 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	